

कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

// चतुर्थ निविदा सूचना //


क्रमांक 11392/जि.पं./स्था./2020

रायगढ़, दिनांक 03.06.2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालयीन निविदा सूचना क्रमांक 10929 / जि.पं. / स्था. / 2020, दिनांक 07.03.2020 एवं पत्र क्रमांक 11186/जि.पं./स्था./2020 दिनांक 18.03.2020 एवं पत्र क्रमांक 642/जि.पं./स्था./2020 दिनांक 05.05.2020 में जिला पंचायत कार्यालय भवन के विभिन्न स्थानों पर रखे हुये अनुपयोगी खराब सामग्रियों के नीलामी हेतु ईच्छुक निविदाकारों से सीलबंद लिफाफा में भाव पत्रक प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। अनुपयोगी खराब सामग्रियों के नीलामी हेतु ईच्छुक निविदाकारों से निर्धारित समयावधि में निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण निविदादाताओं से पुनः सीलबंद निविदा आमंत्रित है ।

निविदा की शर्तें :-

- 1- निविदाकार को अनुपयोगी सामग्री क्रय किये जाने हेतु विक्रय कर विभाग का पंजीकृत होना अनिवार्य है ।
- 2- समस्त अनुपयोगी सामग्री का राशि निविदाकार को एकमुश्त में देना होगा ।
- 3- अनुपयोगी सामग्रियों का अवलोकन कार्यालयीन दिवस व समय पर किया जा सकेगा ।
- 4- निविदा फार्म हेतु इस कार्यालय में 100/- रुपये जमा कर दिनांक 10.06.2020 को अपराह्न 02.00 बजे तक निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं ।
- 5- निविदा के साथ अमानत स्वरूप 2,000/- (दो हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्रॉप्ट / बैंकर्स चेक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ के नाम पर तैयार कर जमा करना अनिवार्य होगा ।
- 6- निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 10.06.2020 के अपराह्न 03.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकेगी तथा उसी दिन शाम 04.00 बजे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ के कक्ष में खोली जावेगी । जिसमें निविदाकार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं ।
- 7- सफल निविदाकार को उसी दिन अनुपयोगी सामग्री का सम्पूर्ण राशि जमा करना होगा तथा 05 दिवस के भीतर समस्त सामग्रियों का उठाव करना होगा । समय-सीमा में उठाव नहीं करने पर इस कार्यालय का कोई जवाबदारी नहीं होगी ।
- 8- अनुपयोगी सामग्री उठाव हेतु परिवहन आदि का व्यवस्था इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा ।
- 9- सफल निविदाकार की अमानत राशि छोड़कर शेष निविदाकारों की अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत यथाशीघ्र वापस कर दी जावेगी ।
- 10- जिला पंचायत कार्यालय भवन के विभिन्न स्थानों पर रखे हुये अनुपयोगी खराब सामग्रियों का अपसेट मूल्य शिथिल किया जाता है तथा अधिकतम मूल्य वाले निविदाकर्ता को सामग्री प्रदाय की जावेगी ।
- 11- निर्धारित तिथि / समय पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- 12- निविदा स्वीकृत करने तथा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ को होगी ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक / 1394 / जि.पं. / स्था./2020

रायगढ़, दिनांक 03.06.2020

जिला पंचायत कार्यालय भवन को विभिन्न स्थानों पर रखे हुये अनुपयोगी खराब सामग्रियों के नीलामी हेतु ईच्छुक निविदाकारों से मोहरबंद लिफाफा में भाव पत्रक प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित है। निविदा की शर्तें एवं बोली प्रपत्र कार्यालयीन समय में स्थापना शाखा, जिला पंचायत-रायगढ़ में रु. 100/- (एक सौ रुपये मात्र) नगद जमा कर, सूचना प्रकाशन की तिथि से प्राप्त की जा सकती है तथा अनुपयोगी सामग्रियों का अवलोकन किया जा सकता है। अनुपयोगी सामग्रियों के क्रय के लिए मोहरबंद लिफाफा दिनांक 10/06/2020 के अपराह्न 3.00 बजे तक तिथि निर्धारित है। निविदा उक्त दिवस को संध्या 04.00 बजे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-रायगढ़ के कक्ष में समिति के समक्ष खोली जावेगी, जिसमें निविदाकार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। निर्धारित तिथि / समय पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 03.06.2020

पृ.क्रमांक / 1395 / जि.पं. / स्था./2020

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला-रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को दैनिक समाचार पत्रों में निरंतर 03 दिवस तक उक्त निविदा सूचना को निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, रायगढ़ को जिले के वेब साईट www.raigarh.gov.in में अपलोड करने बाबत्।
4. सदस्यगण, अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी हेतु गठित समिति की ओर सूचनार्थ एवं दिनांक 10.06.2020 को संध्या 04.00 बजे उपस्थित रहने हेतु प्रेषित।
5. नोटिस बोर्ड में चस्था हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)